

वक्फ इदारा यतीम खाना शाहजहाँनी वाके मुत्तासिल जहाँगीरिया भोपाल।
बिजली व्यवस्था निविदा क्रमांक 02

	दुकानदारों से वसूल करेंगे	इदारे में जमा करेंगे
	रु 32 / -	रु / -
प्रति ट्यूब लाइट/बल्ब प्रतिदिन 40 वाट की		

वक्फ इदारा यतीम खाना शाहजहाँनी वाके मुत्तासिल जहाँगीरिया भोपाल में लगने वाले वार्षिक इज्तेमा बाजार 2026-27 में बिजली सप्लाई हेतु उपरोक्त दिये हुए रेट अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर टेंडर आमंत्रित किये जाते हैं।

1. पूरे मार्केट में शाम 5:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक 70 स्ट्रीट लाइट बिना किसी शुल्क के लगाएंगे एवं उनको जलाएंगे।
2. 1,00,000/- रुपये D.D. द्वारा राशि सुरक्षा निधि के तौर पर टेण्डर के साथ ही जमा करेंगे।
3. 100 इंच का साउण्ड प्रूफ जनरेटर मार्केट में 24 घण्टे Stand by रखेंगे ताकि लाइट जाने की स्थिति में परेशानी न आये।
4. आप दुकानदारों से रु 32/- प्रति ट्यूब लाइट/बल्ब (40 वाट की) प्रतिदिन वसूल करेंगे।
5. कांटेक्ट केवल 'A' क्लास कांटेक्टर को ही दिया जायेगा। जिसको कम से कम मार्केट में विद्युत प्रदाय का एक का अनुभव होगा।
6. मार्केट की पूरी अवधि की राशि एक माह के भीतर प्रतिदिन प्रति ट्यूब लाइट/बल्ब के मान से जमा करना होगी।
7. ठेकेदार की यह भी जिम्मेदारी होगी कि विद्युत कनेक्शन के लिये MPMKVCL से कनेक्शन प्राप्त करेगा और उसमें किसी भी अनियमितता व डिफाल्ट आदि के लिये भी पूर्ण रुप से जिम्मेदार होगा। संस्था किसी भी रुप में बिजली कम्पनी को जवाब देने के लिये बाध्य नहीं होगी।
8. ठेकेदार की यह जिम्मेदारी होगी कि अगर किसी भी दुर्घटना या आग की दुर्घटना या अन्य कोई दुर्घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी संस्था इसके लिये किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगी।
9. कमेटी को यह इख्तियार रहेगा कि बिना कोई वजह बताए वह टेंडर केन्सिल कर दे या किसी टेण्डर को स्वीकार कर लें। हर स्थिति में कमेटी का फैसला आखरी होगा।
10. ठेकेदार किसी भी स्थिति में बिजली की चोरी नहीं करेगा। यदि चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसका ठेका तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा एवं राशि जब्त कर ली जाएगी।
11. टेण्डर मन्जूर होने की सूरत में दूसरे दिन 1,00,000/- रुपये और जमा करना होंगे।
12. ठेकेदार दुकानदारों को दुकानों में लाइट जलाने हेतु कम से कम सात घण्टे बिजली प्रदाय करेगा और यह लाइट रात्रि 12 बजे के बाद बन्द कर दी जाएगी।
13. दुकानदार मन्जूर दर पर ही लाइट जलाने के पैसे देगा। इसी शुल्क में दुकानदार सिर्फ लाइट जलाने, मोबाईल चार्ज करने एवं तौल कांटे के लिये ही विद्युत का इस्तेमाल करेगा।
14. टेण्डर (लिफाफा बन्द) साथ में लाएंगे, टेण्डर ठेकेदारों के सामने ही खोले जाएंगे।
15. अगर 80 वाट का एक बल्ब कोई दुकानदार जलाएगा तो उससे दो बल्ब का किराया लिया जाएगा।
16. यदि बाजार की अवधि बढ़ती है तो बढ़ी हुई अवधि की राशि भी आपको जमा करना होगी।
17. प्रति दुकान की बल्ब/ट्यूब लाइट संख्या सूची उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल